भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1405**

(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात संवर्धन परिषद

1405. **डॉ. रानी श्रीकुमार:**

श्री सी. एन. अन्नादुरई:

श्री जी. सेल्वम:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारत के निर्यात संवर्धन को गति देने के लिए कार्यनीतियां तैयार करने हेतु निर्यात संवर्धन परिषदों और उद्योग संघों के साथ परामर्श किया है;

(ख) क्या सरकार ने तमिलनाडु के लिए विशेषकर वस्त्र और परिधान, चमड़ा उत्पादों, इंजीनियरिंग वस्तुओं, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों, इलेक्ट्रॉनिक्स, समुद्री उत्पादों और एमएसएमई के क्षेत्रों में क्षेत्र-विशिष्ट निर्यात अवसरों की पहचान की है;

(ग) क्या तमिलनाडु में उद्योगों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए किन्हीं नए निर्यात सुविधा उपायों, संभार-तंत्र अवसंरचना, व्यापार वित्त सहायता, बाजार विविधीकरण पहलों या जिला निर्यात संवर्धन कार्यक्रमों का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तमिलनाडु में पत्तन कनेक्टिविटी में सुधार करने, संभार-तंत्र संबंधी लागत को कम करने, निर्यात अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने, प्रमुख औद्योगिक समूहों से निर्यात को बढ़ावा देने और भारत के संवर्धन संबंधी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्य के योगदान को बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ)

सरकार भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र विशिष्ट अवसरों की पहचान करने, व्यापार-संबंधी मामलों का समाधान करने और रणनीति बनाने हेतु निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), उद्योग संगठनों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर काम करती है।

तमिलनाडु, देश के प्रमुख निर्यातक राज्यों में से एक है, यहां पर वस्त्र और परिधान, चमड़ा औऱ फुटवियर, इंजीनियरिंग वस्तुएं, ऑटो मोबाइल और ऑटो कम्पोनेंट्स, इलैक्ट्रॉनिक्स, समुद्री उत्पाद और एमएसएमई जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निर्यात क्षमता की संभावनाएं हैं। निर्यात केन्द्र के रूप में जिला (डीईएच) पहल के तहत, राज्य के सभी जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान की गई है। डीईएच पहल के तहत तमिलनाडु के जिलों सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला-वार चिह्नित उत्पादों/सेवाओं की सूची नीचे लिंक पर दी गई हैं:

https://content.dgft.gov.in/Website/dgftprod/a667478a-d204-4d95-a71c-a58452e1c6d9/Note%20-%20Districts%20as%20Export%20Hubs%20Initiative.pdf

इसके अतिरिक्त, हाल ही में लॉन्च की गई निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) का उद्देश्य निर्यात ऋण, लॉजिस्टिक्स, अब संरचना, बाज़ार पहुंच, गुणवत्ता और मानक, ई-कॉमर्स निर्यात, जिला-स्तर निर्यात संवर्धन, क्षमता निर्माण और व्यापार संवर्धन जैसे क्षेत्रों में लक्षित मध्यस्थताओं के माध्यम से भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। इस मिशन का निर्माण वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ मुख्य बाधाओं के समाधान और बेहतर एकीकरण को सक्षम बनाकर तमिलनाडु सहित क्षेत्रों और राज्यों के निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है।

सरकार, मुक्त व्यापार समझौते तथा व्यापार संवर्धन गतिविधियों के द्वारा डिजिटल पहलों, पत्तन संपर्क सुविधा और बहु-माध्यमीय अवसंरचना को सुदृढ करने, बाजारों में विविधता के माध्यम से लॉजिस्टिक्स की क्षमता बढ़ाने लेन-देन की लागत कम करने के लिए भी कई उपाय कर रही है। इस प्रकार तमिलनाडु और पूरे देश से निर्यात वृद्धि में योगदान दिया जाता है।

सरकार ने विकसित हो रहे वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थिक विकास के आलोक में निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई पहलें की हैं। इनमें मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और व्यापक आर्थिक भागीदारी/सहयोग समझौतों (सीईपीए/सीईसीए) के नेटवर्क का विस्तार करना; निर्यातकों के लिए अधिमान्य बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। (भारत के हालिया मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की सूची अनुलग्नक I में रखी गई है, और वार्तालाप के तहत मुक्त व्यापार समझौतों/सीईसीए/सीईपीए/ईटीसीए की सूची अनुलग्नक II में रखी गई है)

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के अनुसार, प्राथमिक उद्देश्यों में से एक भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है। सरकार ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, भारतमाला परियोजना,

सागरमाला कार्यक्रम, एकीकृत चेक पोस्ट और यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूएलआइपी) जैसी पहल भी शुरू की हैं।

सितंबर 2024 से शुरु किया गया ट्रेड कनेक्ट पोर्टल, व्यापार संवर्धन और सुविधा के लिए भारत सरकार का एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह निर्यातकों, आयातकों, उद्योग हितधारकों और सरकारी संस्थानों को व्यापार संबंधी जानकारी, सेवाओं और सहायता तक पहुंचने के लिए एकल-खिड़की इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यह प्लेटफॉर्म प्रशुल्क, एफटीए, उत्पाद और बाजार की जानकारी, मूल प्रमाण पत्र, क्रेता खोज, व्यापार कार्यक्रम, ई-कॉमर्स मार्गदर्शन, निर्यात प्रमाणन और विशेषज्ञ सलाहकार सेवाओं को एक स्थान पर लाता है, जिससे निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र अधिक सुगम और कुशल हो जाता है।

भारत सरकार द्वारा ₹ 33,660 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र स्कीम, भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) शुरू की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य 100 निवेश-तैयार, विश्व स्तरीय प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्कों का विकास करना है जो निवेशकों को आसानी से विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे घरेलू विनिर्माण क्षमता मजबूत होती है और घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण का समर्थन होता है। यह स्कीम औद्योगिक विकास को सुविधाजनक बनाने और घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी और मजबूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देती है।

अनुलग्नक I

दिनांक: 28.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 1405 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर के संदर्भ में अनुलग्नक

भारत के हालिया मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए)

क्र.सं.	समझौते का नाम	हस्ताक्षर की तिथि	कार्यान्वयन की तिथि
1	भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता (सीईसीपीए)	22 फरवरी, 2021	1 अप्रैल, 2021
2	भारत-यूएई सीईपीए	18 फरवरी, 2022	1 मई 2022
3	भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (भारत-आस्ट्रेलिया ईसीटीए)	2 अप्रैल, 2022	29 दिसंबर 2022
4	भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (टीईपीए)	10 मार्च 2024	01 अक्टूबर 2025
5	भारत - ओमान सीईपीए	18 दिसंबर 2025	1 जून, 2026
6	भारत - यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए)	24 जुलाई 2025	15 जुलाई, 2026
7	भारत-न्यूजीलैंड एफटीए	27 अप्रैल 2026	अनुमोदन प्रक्रिया के तहत

नोट: भारत-यूरोपीयन संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ताएँ 27 जनवरी, 2026 को संपन्न हुईं। इसके अतिरिक्त, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 7 फरवरी, 2026 को घोषणा की कि अमेरिका और भारत के बीच पारस्परिक तथा परस्पर लाभकारी व्यापार संबंधी एक अंतरिम समझौते के लिए एक रूपरेखा पर सहमति बन गई है। इस संबंध में वार्ताएँ अभी जारी हैं।

अनुलग्नक **II**

दिनांक: 28.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 1405 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर के संदर्भ में अनुलग्नक

<u>बातचीत के तहत मुक्त व्यापार समझौते/सीईसीए/सीईपीए/ईटीसीए</u>

1. भारत-यूरेशियन आर्थिक संघ (भारत-ईएईयू) एफटीए
2. भारत - पेरू मुक्त व्यापार समझौता
3. भारत - चिली एफटीए
4. भारत - इज़राइल एफटीए
5. भारत - कनाडा सीईपीए
6. भारत - मालदीव एफटीए
7. भारत - कोरिया सीईपीए उन्नत वार्ता (अपग्रेड)
8. भारत - श्रीलंका ईटीसीए (अपग्रेड)
9. भारत - ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए) (अपग्रेड)
10. आसियान - भारत माल व्यापार समझौता (एआइटीआइजीए) (समीक्षा)